भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1395

उत्तर देने की तारीखः 29.07.2025

नमस्ते योजना के अंतर्गत कचरा बीनने वाले लोग

1395. श्री प्रवीण पटेल:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:
श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभी:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र (नमस्ते) योजना के अंतर्गत कचरा बीनने वालों की संख्या कितनी है;

(ख) हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात और दाहोद के आदिवासी क्षेत्रों सहित देश में औपचारिक पहचान और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित कचरा बीनने वालों की राज्य और जिलावार लक्षित संख्या कितनी है;

(ग) क्या नमस्ते योजना के अंतर्गत राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों (पीएमयू) की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ समझौता पत्र में कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो स्थापित की जाने वाली ऐसी पीएमयू की संख्या कितनी है और स्थापना के लिए आवंटित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और उनके संचालन के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो महाराष्ट्र सहित राज्यवार इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते) सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) तथा कचरा बीनने वालों के कल्याण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

देश भर के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में अब तक 37,980 कचरा बीनने वालों को सत्यापित किया गया है।

(ख): कचरा बीनने वालों की गणना के चल रहे कार्य के लिए राज्य और ज़िलेवार कचरा बीनने वालों की गणना का कोई लक्ष्य नहीं है।

(ग) और (घ): संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) के बीच हुए समझौते के अनुसार नमस्ते योजना के अंतर्गत कचरा बीनने वाले घटक के कार्यान्वयन के लिए राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों (पीएमयू) के लिए यूएनडीपी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

नमस्ते योजना के कार्यान्वयन के लिए 31.03.2026 तक की अवधि के लिए 34 पीएमयू की स्थापना हेतु 2,24,40,000/- रुपये आवंटित किए गए हैं।

महाराष्ट्र सहित राज्यवार आवंटन **संलग्नक** में दिया गया है।

संलग्नक

नमस्ते योजना के अंतर्गत कचरा बीनने वाले लोग के संबंध में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1395 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित राज्य पीएमयू की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1
2	असम	1
3	बिहार	1
4	छत्तीसगढ	1
5	गोवा	1
6	गुजरात	1
7	हरियाणा	1
8	हिमाचल प्रदेश	1
9	जम्मू और कश्मीर	1
10	झारखंड	1
11	कर्नाटक	1
12	केरल	1
13	लद्दाख	1
14	मध्य प्रदेश	2
15	महाराष्ट्र	2
16	मणिपुर	1
17	मिजोरम	1
18	मेघालय	1
19	नगालैंड	1
20	ओडिशा	1
21	पुदुचेरी	1
22	पंजाब	1
23	राजस्थान	1
24	सिक्किम	1
25	तमिलनाडु	1
26	तेलंगाना	1
27	त्रिपुरा	1
28	उत्तर प्रदेश	2
29	उत्तराखंड	1
30	पश्चिम बंगाल	1
31	अरुणाचल प्रदेश	1
कुल		**34**

****